



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052024-254135
CG-DL-E-09052024-254135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1876]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2024/वैशाख 19, 1946

No. 1876]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2024/VAISAKHA 19, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 2024

का.आ. 1969(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार-प्राप्त, संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत जारी आदेश सं. पीडी-12001/03/2024- कोफेपोसा दिनांक 17.01.2024 में यह निदेश दिया गया कि श्री मोहम्मद तौसीक सिद्दीकी @ तौसीकभाई @ मोहम्मद तौसीक, पुत्र अब्दुल कादिर जैलानी सिद्दीकी, निवासी जहीदा मेन्सन, शाहीन स्ट्रीट, मगदूम कॉलोनी, भटकल, उत्तर कन्नड़- 581320, कर्नाटक को हिरासत में लिया जाए और लाजपुर केंद्रीय कारागार, सूरत में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने अथवा माल को छिपाने या रखने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का पालन न किया जा सके।

3. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि वह सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के अंदर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, कर्नाटक राज्य पुलिस मुख्यालय, सं. 2, नृपथंगा रोड, बंगलौर-560001, कर्नाटक के सामने उपस्थित हो।

[सं. पीडी-12001/03/2024-कोफेपोसा]

अनुपम प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 8th May, 2024

S.O. 1969(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/03/2024-COFEPOSA dated 17.01.2024 under the said sub-section directing that Shri Mohammed Tousique Siddique @ Tousiqbhai @ Mohammed Tousique, S/o Abdul Kadir Jailani Siddique, R/o Zahida Mansion, Shaheen Street, Magdooom Colony, Bhatkal, Uttara Kannada – 581320, Karnataka be detained and kept in Lajpore Central Jail, Surat with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods, dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods, in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General & Inspector general of Police, Karnataka State Police Headquarters, No.2, Nrupathunga Road, Bangalore – 560001, Karnataka within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[No. PD-12001/03/2024-COFEPOSA]

ANUPAM PRAKASH, Jt. Secy.